सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—। आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024 / 43 दर्ज तिथिः— 29.07.2024

1. विनोद कुमार पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति गुर्जर उम्र 48 वर्ष निवासी वार्ड नंबर—06, आयुणा मोहल्ला, मनसापूर्ण बालाजी मंदिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.) मो. 6375775180

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. दलीप कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति गुर्जर निवासी वार्ड नंबर—06, आयुणा मोहल्ला, मनसापूर्ण बालाजी मंदिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
2. प्रदीप गुर्जर पुत्र श्री राजेन्द्र कुमार जाति गुर्जर निवासी वार्ड नंबर—06, आयुणा मोहल्ला, मनसापूर्ण बालाजी मंदिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
3. श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जाति गुर्जर निवासी वार्ड नंबर—06, आयुणा मोहल्ला, मनसापूर्ण बालाजी मंदिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
4. मोनिका गुर्जर पुत्री श्री राजेन्द्र कुमार जाति गुर्जर निवासी वार्ड नंबर—06, आयुणा मोहल्ला, मनसापूर्ण बालाजी मंदिर के पास, चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. पुष्पा गुर्जर पुत्री श्री हनुमान प्रसाद पत्नी श्री इन्द्रचन्द जाति गुर्जर निवासी चूरू हाल नाथो तालाब के पास, वार्ड नंबर—24, सुजानगढ़ तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राजस्थान)
7. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, चूरू (राजस्थान)

..... अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री बृजमोहन चारण
अप्रार्थी सं. 1 ता 4:— श्री गोपीराम सिहाग

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:59 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमान् न्यायालय के समक्ष उपरोक्त अनुवान का दावा प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूरी—पूरी उम्मीद है।

2. प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के संयुक्त कब्जा काश्त कृषि भूमि रोही कस्बा चूरू में स्थित है।

3. यह कि कस्बा चूरू की रोही में स्थित खेत खसरा नंबर 2054/71 तादादी 1.1255 हैक्टेयर व खसरा नंबर 94 तादादी 0.5691 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 1.6946 हैक्टेयर रोही मौजा कस्बा चूरू पट्वार हल्का चूरू भू.अभि.नि. चूरू तहसील व जिला चूरू प्रार्थी के पूर्वजों के समय की पैतृक कृषि भूमि है, प्रार्थी का जन्म सन् 1977 में हुआ, पैतृक सम्पति होने के कारण वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी का अपने पिता व बड़े भाई राजेन्द्र कुमार के बराबर हिस्सा हो गया, इस प्रकार सन् 1977 में प्रार्थी का जन्म होते ही इस सह अदायगी सम्पति का कॉ—पासनर हो गया और सम्पूर्ण भूमि से 1/3 हिस्सा प्रार्थी का कानूनी रूप से होने के कारण प्रार्थी 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि का सह खातेदार एवं काबिज काश्तकार हो गया।

4. यह कि उपरोक्त वर्णित वादगत कृषि भूमि के हम 03 सह हिस्सेदार हो गये, 1/3 हिस्सा हमारे पिता का, 1/3 हिस्सा मेरे बड़े भाई राजेन्द्र कुमार का और 1/3 हिस्सा मेरा हो गया, क्योंकि सन् 2005 से पहले पुत्री का पिता के जीवनकाल में व उसकी सम्पति में कोई हक हिस्सा नहीं होता था, सिर्फ पुत्र का पिता के जीवनकाल में पिता के बराबर हिस्सा होता था।

5. यह कि मुझ प्रार्थी के एक बहिन अप्रार्थी संख्या 5 है, जिसका विवाह सन् 1988 में इन्द्रचन्द निवासी सुजानगढ़ जिला चूरू के साथ बड़ी ही धूम—धाम से किया था, शादी के वक्त हमारे पिता ने करीब 20 तोला सोना, 5 किलो चांदी, 21,000/— रुपये नगद, बर्तन, पंखा, रेडिया, सिलाई मशीन आदि अन्य सामान करीब 50,000/— का दिया था, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या—5 को वादगत भूमि के मूल्य से ज्यादा जेवरात नगदी आदि दे दिये गये थे और सन् 2005 से पहले पुत्री का पिता की पैतृक सम्पति में हक—हिस्सा नहीं होता था, इस कारण हमारे पिताजी ने अपने हिस्से की भूमि सहित संपूर्ण भूमि को दो भागों विभक्त करके सन् 1999 में हम दोनों भाईयों को अलग कर दिया और भूमि का बंटवारा करके भी अलग—अलग दोनों भाईयों को काबिज कर दिया था। प्रार्थी के पिताजी ने अपना संपूर्ण हिस्सा सन् 1999 में मौखिक रूप से बक्सीस करके एक मौखिक फैमीली सेटलमेन्ट करके भूमि, मकान, बर्तन आदि समस्त चल व अचल सम्पति का बंटवारा कर दिया और प्रार्थी के पिता प्रार्थी के साथ ही रहने लग गये।

6. यह कि प्रार्थी के पिता का देहान्त आज से करीब 4—5 साल पूर्व हो गया था, जब तब प्रार्थी के पिता जीवित रहे, तब तक प्रार्थी ने व उसके बड़े भाई राजेन्द्र कुमार व राजेन्द्र कुमार के परिवारजन ने उनकी सेवा व देखभाल की तथा उनके देहान्त होने पर समस्त क्रियाक्रम प्रार्थी व उसके भाई राजेन्द्र ने ही किया, जिसमें समाज की परम्परा के अनुसार लाखों रुपये लगे थे तथा अप्रार्थी संख्या 5 जो कि प्रार्थी की बहिन है, के बच्चों जन्म के समय छुछक व उनके विवाह किये तब प्रार्थी ने काफी रुपये खर्च किये व विवाह में मायरा भरा, जिसमें लाखों रुपये लगे और सन् 1988 से लेकर वर्तमान समय तक जब भी प्रार्थी की बहिन उसके घर पर आई, हर बार कपड़े नगदी आदि देते आये है और हमारे बहनोई को जब भी हमारे घर आये तब हर बार जुहांरी के रूप में कभी 200/— कभी 500/— कभी 1100/—रुपये अर्थात् समय के अनुसार तिलक लगाकर दस्तूर के रूप में दिये जाते रहे है, जिनका सामाजिक रीतिरिवाज के अनुसार जमीन व घर गुवाड़ी में हिस्सा—पांति नहीं होती है, इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 5 व हमारे बहनोई को शादी के वक्त व शादी के बाद में तथा हम दोनों भाई की शादी के वक्त तथा हमारी बहिन के बच्चों के जन्म व शादी के वक्त लाखों रुपये नगदी, जेवरात आदि दे चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:59 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि हमारी बहन अप्रार्थी संख्या—5 के विवाह के समय हमारे पिताजी ने करीब 45,000 / — ऋण लिया था, उक्त ऋण हम दोनों भाई ने मेहनत मजदूरी करके चुकाया तथा बहन के मायरा आदि में जो रूपये लगे लगे वो भी हमने चुकाये, पिताजी और भी ऋण ले रखा था, उक्त ऋण का चुकारा हम दोनों भाईयों ने किया, हमारी बहन अप्रार्थी संख्या 5 ने एक भी ऋण नहीं दिया।

8. यह कि सन् 1999 से वादगत भूमि में से 1 / 2 हिस्सा अब प्रार्थी के हिस्से पांति, कब्जा, काश्त में चला आ रहा है, जिसके अनुसार दोनों खसरान में 1 / 2 हिस्सा प्रार्थी का व 1 / 2 अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के हिस्सा पांति व कब्जा काश्त में चला आ रहा है। अप्रार्थी संख्या—5 का कब्जा काश्त कभी नहीं रहा है, ना ही वर्तमान में है, क्योंकि 1 / 3 हिस्सा मुझ प्रार्थी का जन्म से ही था और हमारे पिताजी का जो हिस्सा था, वो भी मौखिक रूप से 1999 में हम दोनों भाईयों को देकर फैमिली सेटलमेन्ट कर दिया था, लेकिन पिताजी के देहान्त के बाद अप्रार्थी संख्या—5 पुत्री होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में गलती से नाम दर्ज हो गया, इस कारण अप्रार्थी संख्या 5 गलत राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर जबरन वादगत कृषि भूमि पर काबिज होना चाहती है, इसलिए राजस्व रिकॉर्ड को दुरूस्त करवाकर जो अधिकार प्रार्थी को जन्म से ही मिल गये थे वो और पिताजी द्वारा मौखिक फैमिली सेन्टमेन्ट के मुताबिक संपूर्ण भूमि में से 1 / 2 हिस्सा मुझ प्रार्थी के नाम दर्ज करवाने बाबत, खातेदारी की घोषणा बाबत दावा पेश करना आवश्यक हो गया। दिनांक 15.06.2024 को अप्रार्थी संख्या 5 ने ऐलानिया धमकी दी को वादगत जमीन पर कब्जो करके रहेगी, जिस कारण वाद हेतुक प्राप्त है।

9. यह कि प्रार्थी सीधा साधा व्यक्ति है व अप्रार्थी संख्या—5 सम्पन्न व शक्तिशाली व राजनैतिक पहुंच रखने वाली महिला है, जो कि प्रार्थी को हमेशा बेदखल करने की धमकी देती रहती है, प्रार्थी की कमजोर स्थिति को देखते हुए उसके हिस्से से अप्रार्थी संख्या 5 बेदखल करना चाहती है। प्रार्थी को उक्त भूमि से बेदखल कर दिया जाता है, तो प्रार्थी को कभी पूरा न होने वाला नुकसान होगा, इस कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी का बनता है, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीया के पक्ष में है।

अतः प्रार्थी की तरफ से अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा के निर्णय तक यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो प्रार्थी को कृषि भूमि खसरा नंबर 2054 / 71 तादादी 1.1255 हैक्टेयर व खसरा नंबर 94 तादादी 0.5691 हैक्टेयर कुल किता 02 कुल तादादी 1. 6946 हैक्टेयर रोही कस्बा चूरू तहसील व जिला चूरू में उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें, ना ही उसके कब्जा, काश्त, उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न करें, ना ही उक्त कृषि भूमि को किसी अन्य को रहन, विक्रय आदि करे, जिससे प्रार्थीय के हक में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, ना ही ऐसा कोई कार्य या उप कार्य करें, जिससे प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पड़े एवं अप्रार्थी संख्या 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वो वादगत कृषि भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे। श्रीमान् जी कृपा होगी।

10. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। [illegible] अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से श्री गोपीराम सिहाग ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 5 पर विधिवत तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं आने [illegible] की गई। अप्रार्थी संख्या 6 भूमिधारी हैं। अप्रार्थी सं. 1 ता 4 को बार—बार अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बंद किया गया। पत्रावली में सीधे ब[illegible] में नियत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:59 IST
Reason: SelfAttested

11. प्रार्थी अधिवक्ता दौराने बहस प्रार्थना—पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 2054 / 71 एवं 94, कुल रकबा 1.6946 हेक्टेयर, पूर्णतः पैतृक एवं संयुक्त काश्तकारी

भूमि है। प्रार्थी का जन्म से ही इस संयुक्त परिवार की संपत्ति में विधिसम्मत अधिकार उत्पन्न हो चुका है। अतः प्रार्थी का भूमि में हिस्सा प्राकृतिक एवं वैधानिक है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। प्रार्थी का हिस्सेदारी अधिकार जन्म एवं पारिवारिक बंटवारे से स्थापित है प्रार्थी एवं उसके भाई के मध्य 1999 में पारिवारिक मौखिक बंटवारा हुआ था, जिसके अनुसार प्रत्येक पक्ष अपने—अपने हिस्से पर पृथक रूप से काबिज एवं काश्तकार हो गए थे। यह बंटवारा लंबे समय से व्यवहार में भी लागू रहा है, अतः यह विधि द्वारा मान्य परिवारिक समझौता है। प्रार्थी पिछले कई वर्षों से वादग्रस्त भूमि के अपने हिस्से पर निरंतर काबिज एवं कृषि कार्य कर रहा है। किसी भी प्रतिवादी द्वारा इस कब्जे को पूर्व में कभी चुनौती नहीं दी गई, जिससे प्रार्थी का अधिकार और भी मजबूत होता है। अप्रार्थी संख्या 5 न तो कभी भूमि की काश्तकार रही है और न ही उसका कोई प्रत्यक्ष कब्जा रहा है। उसका नाम केवल राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश या बाद की प्रविष्टि के कारण दर्ज हुआ है, जो वास्तविक अधिकार का आधार नहीं हो सकता। परिवार में पूर्व में किए गए सामाजिक एवं आर्थिक लेन—देन (विवाह में दिए गए जेवरात, नकद राशि एवं अन्य खर्चे) के आधार पर उसे समुचित लाभ प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, 1999 के पारिवारिक बंटवारे के समय भी उसे कोई हिस्सा नहीं दिया गया, जिससे स्पष्ट है कि भूमि में उसका अधिकार स्थापित नहीं हुआ। अप्रार्थी संख्या 5 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में बिना वास्तविक काश्तकारी अधिकार के दर्ज हुआ है। केवल गलत प्रविष्टि से किसी व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। अतः राजस्व रिकॉर्ड को वास्तविक स्थिति के अनुसार संशोधित किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा भूमि पर जबरन कब्जे की धमकी दी जा रही है, जिससे प्रार्थी के शांतिपूर्ण कब्जे एवं कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है। यह स्पष्ट रूप से न्यायहित के विपरीत है और इसे रोका जाना आवश्यक है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से का वैध खातेदार घोषित किया जाए राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक सुधार किया जाए। अप्रार्थी संख्या 5 को किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप, कब्जे या बाधा उत्पन्न करने से रोका जाए। दावा के निर्णय तक निषेधाज्ञा प्रदान की जाए।

12. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निर्णयार्थ प्रस्तुत हुई। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारों के अधिवक्ताओं को सुना तथा उपलब्ध अभिलेख का परीक्षण किया। प्रार्थी विनोद कुमार द्वारा प्रस्तुत कर विवादित भूमि खसरा नंबर 2054/71 व 94 पर अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की गई। प्रार्थी का मुख्य आधार वर्ष 1999 का मौखिक पारिवारिक बंटवारा एवं उसका स्वयं का 1/2 हिस्से पर कब्जा है। प्रार्थी का यह तर्क कि "2005 से पूर्व पुत्री का हिस्सा नहीं होता था", वर्तमान विधि व्यवस्था में मान्य नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालयों द्वारा पारित विभिन्न निर्णय में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि पुत्री जन्म से ही सह—अंशधारक है। अतः अप्रार्थी संख्या 5 (पुष्पा देवी) का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उत्तराधिकार के आधार पर दर्ज होना पूर्णतः वैधानिक है। प्रार्थी द्वारा कथित वर्ष 1999 के मौखिक बंटवारे का कोई भी पुख्ता दस्तावेजी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। कानूनन, संयुक्त खातेदारी की [illegible] वाद' डिक्री न हो जाए, तब तक प्रत्येक सह—खातेदार का कब्जा पूरी भूमि [illegible] पर माना जाता है। प्रार्थी स्वयं को 1/2 हिस्से का मालिक बता[illegible] अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:59 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रथम दृष्टया मामले का अभावः राजस्व रिकॉर्ड (जमाब[illegible]) के अनुसार विवादित भूमि में प्रार्थी के साथ—साथ अप्रार्थी संख्या 1 से 5 भी सह—खातेदार दर्ज हैं। प्रार्थी ने अपनी बहन (अप्रार्थी सं. 5) के विधिक हक को नकारने का प्रयास किया है, जो न्यायसंगत नहीं है। एक सह—खातेदार

दूसरे सह—खातेदार के विरुद्ध तब तक निषेधाज्ञा प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वह विभाजन के माध्यम से अपना विशिष्ट हिस्सा तय न करवा ले।

14. अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलनः चूँकि रिकॉर्ड में सभी पक्षकार सह—खातेदार हैं, अतः किसी एक पक्षकार को दूसरे के विरुद्ध पाबंद करने से अन्य सह—खातेदारों के अधिकारों का हनन होगा। प्रार्थी का कब्जा विशिष्ट रूप से सिद्ध नहीं है और न ही वह किसी अपूर्णीय क्षति की श्रेणी में आता है क्योंकि भूमि का रिकॉर्ड वर्तमान में सुरक्षित है।
15. उपरोक्त कानूनी स्थिति एवं तथ्यों के आधार पर प्रार्थी यह सिद्ध करने में विफल रहा है कि उसका पक्ष प्रथम दृष्टया सुदृढ़ है। मात्र 'धमकी' के निराधार आरोपों के आधार पर विधिक रूप से दर्ज सह—खातेदार (पुष्पा देवी) के अधिकारों को बाधित नहीं किया जा सकता। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, आधारहीन होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 15.04.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार—I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:28:59 IST
Reason: SelfAttested